

Form No. III  
फर्द—अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

हीरालाल

बनाम

श्रीमती अंजना वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :- नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रार्थना-पत्र

नं०

020

सन्

2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। न्यायालय हाजा में लम्बित दीगर प्रकरण में इसी आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 313/2021 दिनांक 11.11.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के विरुद्ध अन्य प्रकरण संख्या 002/2023 (रा.प्रा.प.) अनवानी नानालाल वगैराह बनाम अर्जुन वगैराह लम्बित है। अतः हस्तगत प्रकरण पश्चात्वर्ती प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं इस प्रकरण को पूर्व प्रकरण संख्या 002/2023 (रा.प्रा.प.) अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 अनवानी नानालाल वगैराह बनाम अर्जुन वगैराह के साथ हम किता किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे। है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद दीगर प्रकरण संख्या 002/2023 (रा.प्रा.प.) अनवानी नानालाल वगैराह बनाम अर्जुन वगैराह के साथ हम किता रहें। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।</p>	



-ह०-  
(आलोक रंजन)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़  
27.08.2024